

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल

क्रमांक एफ 11-7/2016/नियम/चार
प्रति,

भोपाल, दिनांक 07-11-2017

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश

विषय :- सायबर कोषालय के तहत चालान जमा करने एवं रिफण्ड करने की प्रक्रिया
संदर्भ :- वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ-11-7/2016/नियम/चार दिनांक
2 अगस्त 2017

संदर्भित परिपत्र द्वारा सायबर कोषालय के माध्यम से राशि जमा करने/ रिफण्ड करने संबंधी जारी निर्देशों में 01 सितम्बर 2016 के पश्चात रूपये 10000/- से अधिक की राशियों को भौतिक चालान से जमा करने की प्रक्रिया को कतिपय विभागों में आवश्यक प्रणाली स्थापित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 31-10-2017 तक के लिये स्थगित रखा गया था। स्थगन अवधि में दिनांक 31-12-2017 तक की वृद्धि की जाती है।

2. सभी संबंधित विभाग आवश्यक व्यवस्थायें उपरवर्णित समय सीमा में कृपया आवश्यक रूप से विकसित किया जाना सुनिश्चित करें।

(अजय चौबे)

उप सचिव

म0प्र0शासन, वित्त विभाग

भोपाल, दिनांक 07-11-2017

पृष्ठा क्रमांक एफ 11-7/2016/नियम/चार
प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार (लेखा और हकदारी/आडिट) 1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल
2. रजिस्ट्रार जनरल, म0प्र0उच्च न्यायालय जबलपुर
3. आयुक्त कोष एवं लेखा म0प्र0भोपाल
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश
5. समस्त कोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश।

(अजय चौबे)

उप सचिव

म.प्र.शासन, वित्त विभाग